

पचां डिक्री
सायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं साहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ
पीठारीन अधिकारी :-श्री रात्यनारायण आर.ए.एस.

पन0 88/2023

1. भवानी प्रताप सिंह पुत्र उदय सिंह जाति राजपूत निवासी बी 128, करणीनगर, बीकानेर।
वादी
बनाम
1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 करणी सिंह जाति राजपूत निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ।
2. भुपेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 करणी सिंह जाति राजपूत निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ।
3. अभयराज सिंह पुत्र स्व0 करणी सिंह जाति राजपूत निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ।
4. संतोष कुमारी पत्नी स्व0 करणी सिंह जाति राजपूत निवासी पीरकामडिया तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ
5. उदय सिंह पुत्र सादुल सिंह जाति राजपूत निवासी पीरकामडिया हाल बी 128, करणीनगर,
बीकानेर।
6. नरेश राठौड पुत्री उदय सिंह पत्नी कमल सिंह जाति राजपूत निवासी 12 चांद बिहारी
नगर, खातीपुरा, जयपुर।
7. सुमन राठौड पुत्री उदय सिंह पत्नी भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी 12 सियाना हाउस,
गंगाशहर रोड, बीकानेर।
8. संगीता राठौड पुत्री उदय सिंह पत्नी छत्रसाल सिंह जाति राजपूत निवासी 525, नैमीसागर,
वैशालीनगर, जयपुर।
9. निर्मल राठौड पुत्री उदय सिंह पत्नी विजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी निवासी 259,
हनुवन्त ए, बी. जे.एस., जोधपुर
10. नीतू तंवर पुत्री उदय सिंह पत्नी प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी 210, प्रथम तल,सेक्टर
न0 04, चित्रकुट, जयपुर।
11. प्रेम कंवर पत्नी उदय सिंह जाति राजपूत निवासी बी 128, करणीनगर, बीकानेर।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान

काश्तकारी अधि0 1955


डिक्री

दिनांक 28/12/25

अधिकारी एवं
साहायक कलक्टर
टिब्बी

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री कुन्दनलाल व प्रतिवादी वकील विकास शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है (क) वादी को चक 13 सी. डी. आर. जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के प० न० 209/270 मु० न० 53 के 22 ता 25/1.012, प० न० 209/271 मु० न० 62 के किला न० 2 ता 15/3.542, प० न० 210/270 मु० न० 54 के किला न० 17 ता 24/2.024 हैक्टेयर, प० न० 210/271 मु० न० 61 के किला न० 1 ता 4/1.012, 7 ता 12/1.518 भूमि इस प्रकार कुल 9.108 हैक्टेयर भूमि तथा प्रतिवादी 1 सुरेन्द्र सिंह को चक 13 सी. डी. आर. के प० न० 210/271 मु० न० 61 के किला न० 24/0.253 व चक 5 एस.आर.डब्ल्यू के प० न० 210/272 मु० न० 15 के किला न० 1 ता 4, 7 ता 10/2.024, इस प्रकार कुल 2.277 हैक्टेयर व प्रतिवादी स० 2 भुपेन्द्र सिंह को चक 13 सी. डी. आर. के प० न० 210/271 मु० न० 61 के किला न० 13 ता 14/0.506, 17 ता 23 /1.771 कुल 2.277 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादी स० 3 अभयराज सिंह को चक 13 सी. डी. आर. के प० न० 209/271 मु० न० 62 के किला न० 25/0.253, प० न० 209/272 मु० न० 63 के किला न० 1 ता 8/2.024 कुल 2.277 हैक्टेयर तथा प्रतिवादी स० 4 संतोष कुमारी को चक 13 सी.डी.आर. के प० न० 209/271 मु० न० 62 के किला न० 16 ता 24/2.277 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व उक्त चको में से स्व० करणीसिंह व प्रतिवादी स० 5 उदयसिंह व प्रतिवादी स० 6 नरेश राठौड उर्फ नरेन्द्र कुमार का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबन्दी में गै०मु० रकवे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/6/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण एस.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।